



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022026-270088
CG-DL-E-12022026-270088

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693]
No. 693]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 12, 2026/माघ 23, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 12, 2026/MAGHA 23, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

का.आ. 731(अ).— केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 5620(अ) तारीख 05 दिसंबर, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - 2, खण्ड - 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 716 के 101.620 कि.मी. से 121.935 कि.मी (कडपा से रेनिगुंटा सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाना आदि.), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा 3क की उपधारा (3) के अधीन "09 दिसंबर, 2025" तारीख को हंस इंडिया " और "प्रजाशक्ति " में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप आपत्ति प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 716 के 101+620 कि.मी. से. 121+935 कि.मी तक (कडपा से रेनिगुंटा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: तिरुपति		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रेनिगुंटा					
गांव का नाम: अनगुंटा					
1	109/2ए	निजी (पट्टा)	बेट	0.174021	सी.संथम्मा डबल्यू/ओ नादामुनि 109/2A
2	89/10बी1	निजी (पट्टा)	बेट	0.0546345	1.एम्.सुगुना डबल्यू/ओ लेट एम्.वेंकटरमन, 2. ई.राकेश बाबू एम्/ओ ई.वेंकटेश्वरलु 89/10B1
Total				0.2286555	

[फा. सं. 2059/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2026

S.O. 731(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.5620(E) dated 5th December 2025, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 716 in the stretch of land from Km 101+620 to Km 121+935(Kadapa – Renigunta Section) in the district of Tirupati in the state of Andhra Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in “HANS INDIA” and “PRAJASAKTHI” both dated 9th December 2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure falling within the stretch of land from Km. 101+620 to Km. 121+935 (Kadapa-Renigunta Section) on the National Highway No. 716 in the District of Tirupati in the State of Andhra Pradesh.

State: ANDHRA PRADESH			District: Tirupati		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Renigunta					
Village: Anagunta					
1	109/2A	Private (Patta)	Wet	0.174021	C.Santhamma W/o Nadamuni 109/2A
2	89/10B1	Private (Patta)	Wet	0.0546345	1.M.Suguna W/o Late M.Venkataramana, 2. E.Rakesh babu S/o E.Venkateswarlu 89/10B1
Total				0.2286555	

[F. No. 2059/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director